कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 592 भोपाल, दिनांक 8-2-21

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला मंडला एवं जिला जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-76/2018-FC दि. 23.05.2019

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :–

शर्त क्र.	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है।
2	Calculated area of Compensatory Afforestation on Non-Forest Land is found as 66.18ha instead of 69.555ha. The clarification is needed for the same.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में दो टुकड़ों में कुल 69.55 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इन दोनों टुकड़ों की KML फाईल आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव के भाग–2 में बिन्दु क्रमांक–19 में Mutation के कालम में अपलोड की है।
3	As depicted through High Resolution Google Earth satellite imagery, some agriculture patches are visible in the proposed CA site having Khasra No. 249. These patches shall be handed over after removing the encroachment.	आवेदक संस्था ने गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कर वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर को उपलब्ध कराई है। इस संबंध में तहसीलदार, कुण्डम का पत्र परिशिष्ट–2 में संलग्न है।
4	The whole CA land shall be fenced by the User Agency before handing over to the Forest Department at project cost.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनभूमि की फेंसिंग के लिये रू. 68,12,990 की राशि राज्य बजट मद से उपलब्ध कराई है। इस राशि से वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर द्वारा फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। फेंसिंग कार्य हेतु आवश्यक राशि की मांग का पत्र परिशिष्ट–3 में संलग्न है।
5	Some of the trees should be retained for perching of birds.	सहमत। वन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार वृक्षों को छोड़ते हुये शेष वृक्षों का पातन किया जायेगा।

6	Compensatory Afforestation:	
a)	The Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 69.555 Ha. Non-forest land / degraded forest land (Compartment no./ Khasra No. 249, 175 Village-Kevlari, Tauri Tehsil Kundam, District Jabalpur) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है।
b)	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का नांमातंरण वन विभाग के नाम कर दिया है। नामांतरण की प्रतिलिपि परिशिष्ट–4 में संलग्न है।
7	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रू. 2,25,73,200 का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
8	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनभूमि 02 टुकड़ों में उपलब्ध कराई गई है। इस गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 06.02.2021 को किया गया। गैर वनभूमि पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त है तथा रोपण योग्य है। इस संबंध में प्रमाण पत्र परिशिष्ट–5 में संलग्न है।
9	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India toposheet of 1 : 50,000 scale.	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को टोपोशीट पर अंकित किया गया है, जो परिशिष्ट–6 संलग्न है।
10	Net Present Value (NPV):	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 69.555 ha. Forest area to be diverted under the proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 3,14,84,050 का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किया गया है।

-3-

b)	The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–7 में संलग्न है।
11	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	राज्य शासन के विभागों को विदोहन व्यय में छूट है। इस संबंध में राज्य शासन का आदेश दिनांक 22.04.2016 की प्रति परिशिष्ट–8 में संलग्न है।
12	The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act, 1980 Handbook, if applicable;	प्रस्ताव में जल ग्रहण उपचार क्षेत्र योजना परिशिष्ट–9 में संलग्न है। जल ग्रहण उपचार क्षेत्र योजना की तकनीकी स्वीकृति परिशिष्ट–10 में संलग्न है। जल ग्रहण उपचार योजना के लिये राशि रू. 4,00,95,000 की राशि ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
13	The State Government must ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–11 में संलग्न है।
14	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–12 में संलग्न है।
15	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रमाण पत्र परिशिष्ट–13 में संलग्न है।
16	No labour camp/huts shall be established on the forest land.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–14 में संलग्न है।
17	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–15 में संलग्न है।
18	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	सभी भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।
19	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	पालन प्रतिवेदन ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

-4-

20	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–16 में संलग्न है।
21	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–17 में संलग्न है।
22	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–18 में संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 593 भोपाल, दिनांक 8-2-21

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न है।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वैश्वरैया भवन,कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
6. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम मंडला, मध्यप्रदेश।
7. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

CHHITAKHUDARI MEDIUM IRRIGATION PROJECT

FOREST CASE (STAGE – II) COMPLIANCE REPORT

S.No.	Conditions / Queries Raised	Compliances	Attachments
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 1
2	Calculated area of Compensatory Afforestation on Non-Forest Land is found as 66.18ha instead of 69.555ha. The clarification is needed for the same.	Updated KML files of Kh 175 & Kh 249 having area 31.16ha & 40.00ha respectively (total area 71.16ha) are uploaded on the portal.	
3	As depicted through High Resolution Google Earth satellite imagery, some agriculture patches are visible in the proposed CA site having Khasra No. 249. These patches shall be handed over after removing the encroachment.	Possession of CA land after removing the encroachment, handed over by Tehsildar, Kundam to Forest Deptt. Vide Letter No. 196/Prava/Teh/2020, dtd. 10.06.2020.	Attached as Annexure – 2
4	The whole CA land shall be fenced by the User Agency before handing over to the Forest Department at project cost.	Payment of Rs. 6812990 made vide allotment Id 2000879592, dtd. 13/01/2021 against the demand note received from Forest Department. Letter no. DM/6474/ dtd. 09.12.2020.	Attached as Annexure – 3
5	Some of the trees should be retained for perching of birds.	Related with forest department.	
6	Compensatory Afforestation:		
a	The Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 69.555 Ha. Non-forest land / degraded forest land (Compartment no./ Khasra No. 249, 175 Village-Kevlari, Tauri Tehsil Kundam, District Jabalpur) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	Agreed. Plantation work is to be done by Forest Department.	
b	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	1. Possession of CA land, ie. Kh 175 & Kh 249 having 31.16ha & 40.97ha respectively given by Tehsildar, Kundam to Forest Deptt. Vide Letter No. 196/Prava/Teh/2020, dtd. 10.06.2020. 2. Land Transfer order given vide Letter no. 3717/Pravaa. Collec./2018/07.12.2018.	Attached as Annexure – 4

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

7	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	The technically sanctioned amount of CAT plan has been deposited online in CAMPA funds.	Attached as Annexure – 5
8	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government.	Related with forest department.	
9	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India toposheet of 1 : 50,000 scale.	Toposheet enclosed.	Attached as Annexure – 6
10	Net Present Value (NPV):		
a)	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 69.555 ha. Forest area to be diverted under the proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	1. Rs 28091130 for 64.135ha (Mandla) paid vide UTR No. SBIN119234702614 2. Rs 25966120 for 5.42ha (Jbp) paid vide UTR No. SBIN120189185511	Attached as Annexure – 7
b)	The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure -8
11	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Not applicable. Supporting order from Govt. of MP enclosed.	Attached as Annexure – 9

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

12	The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act, 1980 Handbook, if applicable;	The technically sanctioned amount of CAT plan has been deposited online in CAMPA funds.	Attached as Annexure – 10
13	The State Government must ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 11
14	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 12
15	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Prescribed certificates issued by District Collector of Mandla & Jabalpur are attached.	Attached as Annexure – 13
16	No labour camp/huts shall be established on the forest land.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 14
17	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 15
18	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	Agreed. All payments have been done online through e-portal.	
19	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	Agreed.	
20	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 16

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

21	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 17
22	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed. Undertaking enclosed.	Attached as Annexure – 18

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Scanned with CamScanner

Annexure - 1

Condition - 1

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 2

कार्यालय तहसीलदार कुण्डम जिला जबलपुर(म.प्र.)

क्रमांक / /प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक– 10/06/2020

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम जिला जबलपुर,

विषय :– वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डुब क्षेत्र में आने वाली 69.555 हे. वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि ख.नं. 175 रकवा 31.16 हे. एवं ख.नं. 249 रकवा 40.97 का सीमांकन उपरांत कब्जा सौपने बावद्।

संदर्भ :– न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018।

---00---

उपरोक्त विषयांर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 के द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल रकवा 72.13 हे. भूमि वनीकरण हेतु आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 22.11.2019 को सीमांकन किया गया जिसमें वन विभाग, जल संसाधन विभाग उपस्थित रहे। सीमांकन दल द्वारा ख.नं. 175 का रकवा 31.16 हे. तथा ख.नं. 249 का रकवा 40.97 हे. भूमि चिन्हाकित की जाकर संयुक्त रूप से वन विभाग/जल संसाधन विभाग को अवगत कराया गया। किन्तु वन विभाग द्वारा जब के.एम.एस. फाईल बनाई गई तो ख.नं. 249 की भूमि कम पाई गई उक्त तथ्य से इस कार्यालय को अवगत कराया गया। जिसके आधार पर पुनः सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 06.06.2020 को सीमांकन कार्य संयुक्त रूप से वन/जल संसाधन विभाग के साथ ख.नं. 249 के रकवा 40.97 को पुनः सीमांकित टी.एस.एम./ जरीब द्वारा किया गया। एवं वन विभाग द्वारा के.एम.एल. फाईल तैयार की गई तथा रकवा बरारी की जो दर्ज रकवा 40.97 हे. में से 40.00 हे. पाई गई। सीमांकित भूमि ख.नं. 249 में लगी शासकीय भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) राजस्व ख.नं. 180 रकवा 71.66 हे. मद बड़े झाड़ का जंगल की तार फेसिंग ख.नं. 249 के अंदर तथा राजस्व ख.नं. 180 व 249

के बीच स्थित निजी भूमि ख.नं. 181, 182 व 184 जिनके दर्ज रकवा क्रमशः 0.43 हे., 1.60 हे., 1.12 हे. में से ख.नं. 181 का सम्पूर्ण भाग ख.नं. 182 का 0.50 हे. व 184 का 0.10 हे. रकवा तथा खसरा नं. 249 का 4.00 हे. रकवा ख.नं. 180 की तार फेसिंग के अंदर का रहा है। तो कि पूर्व से वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) वन विभाग की तार फेसिंग के अंदर है।

अतः वर्तमान में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना को ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल योग 72.13 हे. भूमि का कब्जा सौपा गया।

संलग्न :— प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा, कब्जा पंचनामा
एवं अन्य सुसंगत दस्तोवज

तहसीलदार
कुण्डम

क्र. /196/प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक— 10/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय (ग्रामीण) जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् कार्यपालन यंत्री छीताखुदरी जल संसाधन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुण्डम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (सा.) सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छीताखुदरी जल संसाधन विभाग कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी की ओर भेजकर लेख है, कि उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड से पृथक कर नक्शा/खसरा संशोधित कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
कुण्डम

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर–482001
फोन : 91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क0/डी0एम0/ 6474 जबलपुर दिनांक 09/12/2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

विषय :- जिला मण्डला एवं जिला जबलपुर के अन्तर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू– प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कमांक/ एफ–3/ 79/ 83/ 2016–17/ 10–11/ 9 / 2122 दिनांक 08/07/2020
3. कार्यलयीन पत्र कमांक/डी.एम./1719 दिनांक 01.07.2020.

–::–

विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019 से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

पूर्व में कार्यलयीन पत्र दिनांक 01.07.2020 से लेख किया गया है कि भारत शासन द्वारा अध्यारोपित की गई शर्त के अनुसार गैर वन भूमि के सीमांकन एवं फैंसिंग /मुनारा निर्माण आवेदक संस्थान द्वारा किये जाने के उपरांत गैर वन भूमि आधिपत्य में ली जाना है। अतः वृक्षारोपण में फेंसिंग व्यय राशि 32,56,320/– नहीं ली जा रही है। यह राशि इस मांग पत्र में सम्मिलित है।

इस अनुकम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के बदले में क्षतिपूर्ति असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण ग्राम किवलारी, खसरा नं0 175 रकवा 33.00 हेक्टेयर ~~एवं~~ में चैनलिंक फैंसिंग की राशि रूपये 35,56,670/– के प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर द्वारा पत्र कमांक/व्यय/182 दिनांक 08/12/2020 से दी गई है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि के फैंसिंग एवं मुनारा निर्माण हेतु निम्नानुसार मॉग पत्र जारी किया जाता है :–

योजना का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा कमांक	रकवा हे0 में	राशि
छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना	कुण्डम	केवलारी	175	33.00	35,56,670/–
	कुण्डम	केवलारी	249	40.00	32,56,320/–
					68,12,990/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू– प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–3 / 79 / 83 / 2016--17 / 10–11 / 9 / 2122 दिनांक 08 / 07 / 2020 से प्राप्त निर्देशानुसार फैंसिंग कार्य के लिए आवश्यक राशि का हस्तांतरण बी.सी.ओ. क्रमांक 1003 में किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर
जबलपुर दिनांक 09/12/2020

पृ. क0 / डी0एम0 / 6475

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर
09/12/2020

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-4

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :11330201000180570022

ग्राम:किवलारी | हल्का :मडई | रा.नि.म. :इमलई | तहसील :कुंडम | जिला :जबलपुर | वर्ष: 2020-2021

क्र.	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का स्थान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल लगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्र मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	31.1600 वन 31.1600	(शासकीय) वन विभाग पता कुंडम जबलपुर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									बडे झाड़ का जगल चराई हेतु सुरक्षित लकडी के लिये तिगड्डा 2 चांदा 7 दु नामांतरण(भू-आवंटन)प्रकरण क्रमांक 01 a-19-3/2017-18 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार अपर कलेक्टर ग्रामीण द्वारा स्वीकार किया गया है। छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज मे वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित

सूचना केन्द्र
25 NOV 2020
तहसील-कुंडम, जिला-जबलपुर

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRAD
Date: 2020.11.25 14:27:34 IST
Reason: Digitally Signed Land Records Basra Copy
DFR No. 1133020100018057002292

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :11330201000180570022 91

ग्राम:किवलारी		हल्का :मडई		रा.नि.म. :इमलई		तहसील :कुंडम		जिला :जबलपुर		वर्ष: 2020-2021	
				खाते की भूमि							
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के क्षेत्र मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	
नांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दूफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक		कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	40.970 0 वन 40.9 700	(शासकीय) वन विभाग पता कुंडम जबलपुर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									बडे झाड का जंगल.चराई एवं इमारती लकडी के लिये नामांतरण(भू-आवंटन)प्रकरण क्रमांक 01 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार न्यायालय अपर कलेक्टर ग्रमीण द्वारा स्वीकार किया गया है। छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांवटोला शीर्ष कार्य उप संभाग जबलपुर मप्र के पत्र क्र 924 दिनाक28-10-2020 के अनुसार खसरा न. 249 रकवा के कुल रकवा 40 .97 हे ० में से वनविभाग को 40 .00हे . और 0.9700हे ० भूमि मध्य प्रदेश शासन की शेष है दि.24/11/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोडा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया।

25 NOV-2020

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH (
Date: 2020.11.25 14:27:28 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11330201000180570022 91

परिशिष्ट– 5

गैर वनभूमि की उपयुक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना के लिये ग्राम केवलारी में खसरा क्रमांक–175 में 31.16 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इस गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 06.02.2021 को वन विभाग के अधिकारियों तथा आवेदक संस्था के अधिकारियों के साथ किया गया।

इस भूमि पर पूर्व से ही सागौन प्रजाति के वृक्ष स्थापित है तथा इस भूमि पर किसी प्रकार के पौधे रोपित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर द्वारा इस गैर वनभूमि पर रोपित किये जाने वाले पौधे बिगड़े वनों में कक्ष क्रमांक 453 में 33,000 पौधें रोपित किये जायेंगे। यह स्थल अतिक्रमण से मुक्त है।

इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये ग्राम केवलारी में खसरा 249 में 40 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इस गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 06.02.2021 को वन विभाग के अधिकारियों तथा आवेदक संस्था के अधिकारियों के साथ किया गया। इस भूमि में कुछ टुकड़ों में अतिक्रमण था जिसे वर्तमान में पूरी तरह से हटा दिया गया है तथा इस गैर वनभूमि को वन विभाग के अधिपत्य में दे दिया गया है। यह गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

08/02/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Annexure - 6

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. F44C4

Scale 1:50,000

F44B15 (55M/15)	F44C3 (64A/3)	Katni MADHYA PRADESH F44C7 (64A/7)
F44B16 (55M/16)	Jabalpur MADHYA PRADESH F44C4 (64A/4)	F44C8 (64A/8)
F44H13 (55N/13) 3 Seoni MADHYA PRADESH	Mandla MADHYA PRADESH F44I1 (64B/1)	F44I5 (64B/5)

1 Damoh, MADHYA PRADESH.
2 Dindori, MADHYA PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2010.

₹ 300/- (तीन सौ रुपये मात्र)

CONVENTIONAL SYMBOLS

Annexure - 4 (ii)

REFERENCES

NH 12A National Highway No. 12A. Chy Chimney.

NOTES :-

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
A relative height, e.g., :3: represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
The triangulated heights and contours in this sheet have not been adjusted to the heights of the spirit-levelled bench-marks and may not be strictly in accordance with them.

COMPILATION INDEX

A. Surveyed during 1968-69. Updated for major details during 2005-06.

Projection – UTM Datum – WGS 84

Magnetic Variation from True North about ½° West in 2005.
Decreasing by about 1' annually.

1:50,000

500 m to 1 cm 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 Kilometres

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

For further details about this map, please contact
Director
Madhya Pradesh Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
Survey Colony, Vijaynagar
Jabalpur.

WEBSITE – www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2010.

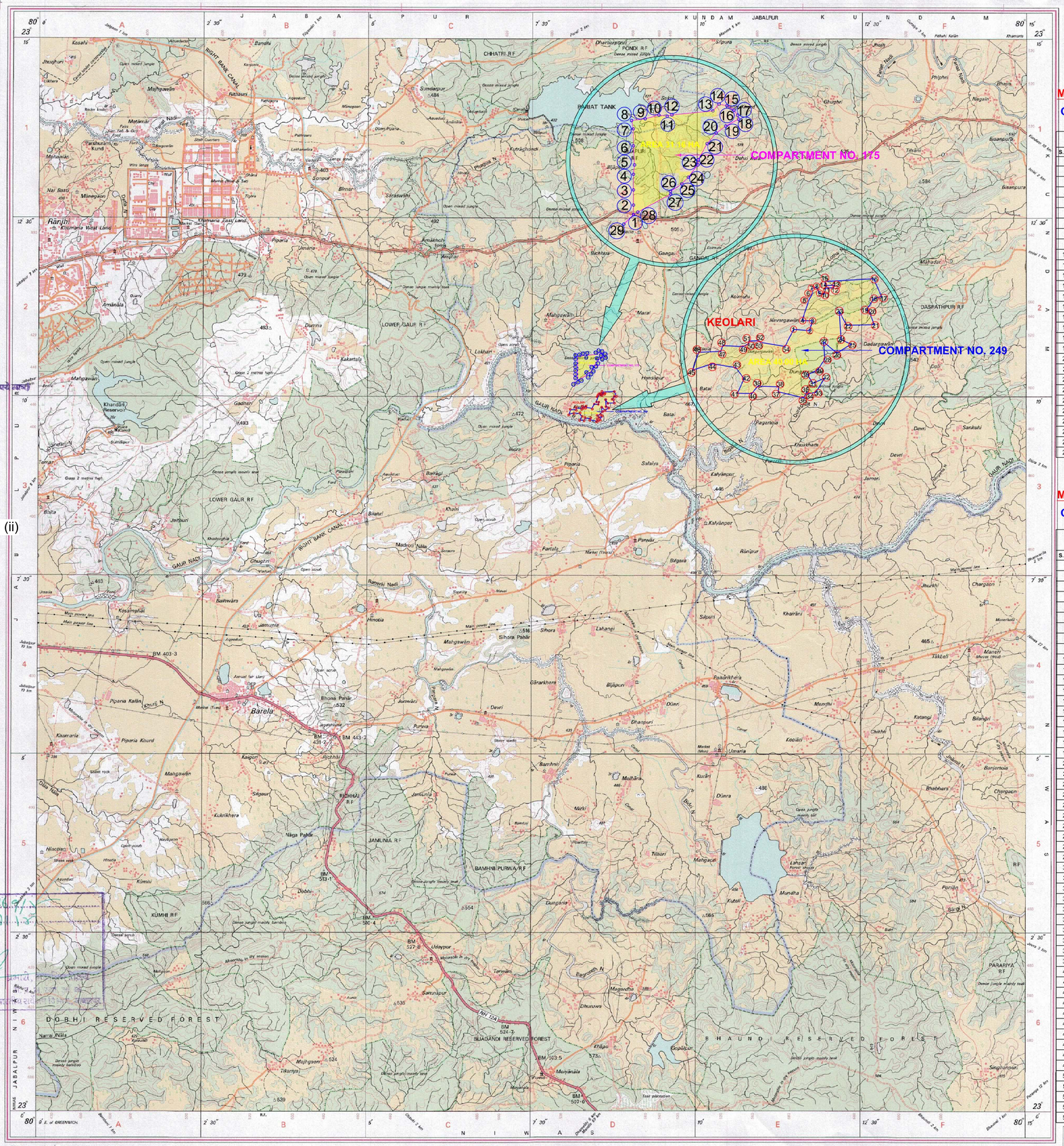

REG. No. -SPG 010 (Madhya Pradesh GDC-1:50,000)-

भारत के महासर्वेक्षक, स्वर्ण सुबा राव, बी.ई., के निदेश में प्रकाशित,
Published under the direction of Swarna Subba Rao, B.E., *Surveyor General of India,*
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun – 248001 (Uttarakhand),
Department of Science & Technology, Government of India.

PRINTED AT THE SOUTHERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

CHHITAKHUDARI MEDIUM TANK PROJECT

GEO REFFRANCE MAP

CO- ORDINATE DETAILS

GPS READING OF KEOLARI VILLAGE (KHASRA NO. 175)

S.NO.	LATITUDE	LONGITUDE
1	23°10'18.42"	80°08'15.71"
2	23°10'20.29"	80°08'15.78"
3	23°10'23.36"	80°08'15.82"
4	23°10'26.64"	80°08'15.95"
5	23°10'28.52"	80°08'16.18"
6	23°10'33.08"	80°08'15.81"
7	23°10'37.99"	80°08'15.61"
8	23°10'40.26"	80°08'15.15"
9	23°10'40.25"	80°08'18.52"
10	23°10'40.62"	80°08'21.81"
11	23°10'39.88"	80°08'23.79"
12	23°10'40.21"	80°08'24.86"
13	23°10'39.61"	80°08'34.91"
14	23°10'41.40"	80°08'36.52"
15	23°10'40.53"	80°08'38.45"
16	23°10'39.08"	80°08'39.99"
17	23°10'37.25"	80°08'40.61"
18	23°10'36.66"	80°08'40.67"
19	23°10'35.35"	80°08'37.39"
20	23°10'33.79"	80°08'34.91"
21	23°10'31.71"	80°08'32.61"
22	23°10'27.93"	80°08'30.33"
23	23°10'27.02"	80°08'30.00"
24	23°10'24.50"	80°08'27.64"
25	23°10'23.34"	80°08'26.21"
26	23°10'21.76"	80°08'23.32"
27	23°10'21.54"	80°08'23.83"
28	23°10'18.87"	80°08'16.64"
29	23°10'16.91"	80°08'13.70"

CHHITAKHUDARI MEDIUM TANK PROJECT

GEO REFFRANCE MAP

CO- ORDINATE DETAILS

GPS READING OF KEOLARI VILLAGE (KHASRA NO. 249)

S.NO.	LATITUDE	LONGITUDE
1	23°09'52.69"	80°08'27.41"
2	23°09'52.28"	80°08'31.13"
3	23°09'55.26"	80°08'31.64"
4	23°09'55.00"	80°08'29.57"
5	23°10'01.09"	80°08'30.83"
6	23°10'03.37"	80°08'31.844"
7	23°10'04.557"	80°08'31.70"
8	23°10'05.276"	80°08'32.707"
9	23°10'03.272"	80°08'33.442"
10	23°10'03.11"	80°08'34.51"
11	23°10'04.827"	80°08'35.062"
12	23°10'05.026"	80°08'37.087"
13	23°10'05.764"	80°08'36.933"
14	23°10'05.661"	80°08'34.634"
15	23°10'06.83"	80°08'34.721"
16	23°10'08.232"	80°08'47.695"
17	23°10'02.54"	80°08'48.86"
18	23°10'01.86"	80°08'46.84"
19	23°09'58.56"	80°08'44.54"
20	23°09'58.17"	80°08'45.19"
21	23°09'54.32"	80°08'45.86"
22	23°09'54.07"	80°08'39.48"
23	23°09'57.97"	80°08'38.02"
24	23°09'50.22"	80°08'37.92"
25	23°09'49.11"	80°08'40.11"
26	23°09'47.01"	80°08'36.89"
27	23°09'49.60"	80°08'34.08"
28	23°09'45.49"	80°08'34.16"
29	23°09'43.36"	80°08'32.76"
30	23°09'42.13"	80°08'30.67"
31	23°09'40.39"	80°08'31.74"
32	23°09'41.53"	80°08'34.01"
33	23°09'38.71"	80°08'32.34"
34	23°09'38.41"	80°08'30.74"
35	23°09'38.65"	80°08'30.53"
36	23°09'37.59"	80°08'29.92"
37	23°09'38.75"	80°08'24.90"
38	23°09'39.78"	80°08'25.09"
39	23°09'39.90"	80°08'20.79"
40	23°09'38.471"	80°08'19.777"
41	23°09'38.481"	80°08'17.03"
42	23°09'41.32"	80°08'17.90"
43	23°09'43.62"	80°08'15.91"
44	23°09'44.56"	80°08'10.80"
45	23°09'43.29"	80°08'07.03"
46	23°09'47.11"	80°08'07.31"
47	23°09'47.18"	80°08'12.10"
48	23°09'48.69"	80°08'12.32"
49	23°09'48.28"	80°08'16.64"
50	23°09'49.06"	80°08'17.76"
51	23°09'49.804"	80°08'17.61"
52	23°09'49.776"	80°08'19.833"
53	23°09'49.45"	80°08'20.11"
54	23°09'48.39"	80°08'25.76"

INDEX

COMPARTMENT NO. 249 — AREA 10.80 HA — 0
TOPO SHEET No. — M A 4 — POINT P1 – 54
BLOCK & TEHSIL — KUNDAM — DISTRICT — JABALPUR

(A. S. SAKUNAL) (M. K. MUDIYA)
SUB ENGINEER

(L. P. MELKO)
SUB DIVISIONAL OFFICER
MEHGAON TOLA NW
SUB DIV.JABALPUR

(S. K. SHARMA)
EX.EXCUTIVE ENGINEER
HI REJAI NW & DIVISION
JABALPUR

Annexure - 8

Condition - 10(B)

The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ--25-13 / 2016 / 10-3 भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

प्रति,

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :-- शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाले वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बाबत।

—0—

वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में स्थित वृक्षों का विदोहन व्यय का वहन संबंधित उपयोगकर्ता विभाग / संस्थान से लिया जाता है। चूँकि राज्य शासन के विभिन्न विभाग राज्य की संचित निधि से ही राशि प्राप्त करते है।

अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त कार्यों का व्यय शामिल होगा।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ०क्रमांक / एफ--25-13 / 2016 / 10-3 भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:--

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन / लोक निर्माण / वाणिज्य, उद्योग और रोजगार / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division

Annexure-10

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 40 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नई गाईड लाईन जो कि दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील होने के निर्देश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–3 / 2019 / 10–11 / 03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 को आयोजित की गयी। बैठक मे **छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना** के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का परीक्षण करने पर इसमे सुधार करने के निर्देश दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का पुनः दिनांक 06.02.2020 को समिति द्वारा परीक्षण करने पर यह पाया गया, कि केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान मे वृक्षारोपण / चारागाह विकास के कार्य प्रावधानित नही है। अतः इस संबंध मे केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान संशोधित करने के निर्देश कार्यालयीन पत्र क्रमांक / एफ–3 / 2020 / 10–11 / 501, दिनांक 07.02.2020 से कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के द्वारा निर्देशों के पालन में पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.08.2020 को पुनः बैठक आयोजित कर केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	रकबा हेक्टे. में	राशि (रूपये में)
1	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार	3564.00	3,64,50,000
	जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये		36,45,000
	योग–	3564.00	4,00,95,000

राशि रूपये चार करोड़ पिन्चानवे हजार (जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की राशि रू. 3,64,50,000 एवं जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये 10 प्रतिशत की राशि रू. 36,45,000 / –)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

–2–

4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों क अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

27/8/2020
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं/एफ–3/83/2017/10–11/9/ 2735 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंडल जबलपुर/पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश, की ओर उक्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति संलग्न है। इस परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य के लिए राशि की मांग कैम्पा शाखा से करें।
6. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि ई–पोर्टल पर कैम्पा मद मे जमा करें।

संलग्नः–अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति।

27/8/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3(Part-I).docx

Annexure - 11

Condition - 13

The State Government must ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

FORM - II

Annexure II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Mandla (M.P.)

No. 5210

Dated : 16/7/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' - for short) on the forest land proposed to be diverted for, non - forest purpose. Read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 64.135 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Water Resources Department for **Construction of Chhitakhudri Medium Tank Project for irrigation purpose in Jabalpur** District falls within jurisdiction of Chhitakhudri village in Kundam Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire 64.135 hectares forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub - Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kharkhara, Jaldhara, Bhanpur Bisaura, Khamariya Tola & Garh Bisaura village(s) is enclosed as annexure(s).

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : As above.

16/07/18

(सफिया खातून वली)
District Collector (M.P.)
आई.ए.एस.
कलेक्टर मण्डला (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
वन संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

Mandla (1)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास

पत्र क्रं/1665/अ.वि.अ/2016–17 निवास दिनांक 20/2/17

प्रति,

अपर कलेक्टर महोदय,
मंडला

विषयः– छीताखुदरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि अधिनियम 2006 के नियम 2008 के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में ।

------0------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में छीताखुदरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य के लिये तहसील निवास जिला मंडला की अर्जन होने वाली वन भूमि के परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20/02/17 को सम्पन्न हुई जिसमें ग्राम सभा के सहमति पत्र पर सहमति व्यक्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है ।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) निवास जिला मंडला

पृ क्रं/1665(A)/अ.वि.अ/2016–17 निवास दिनांक 20/2/17

प्रतिलिपिः–

1 कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।

सहपत्रः–1 उपखण्ड स्तरीय समिति का सहमति पत्र
2 ग्रमा पंचायत के ग्राम सभा का सहमति पत्र

कार्यपालक यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) निवास जिला मंडला

कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील कुण्डम के वन एवं राजस्व भूमि के प्रस्ताव के लिए अनुसुचित जन जाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सभा के प्रथम स्तरीय समिति के अनुमोदन संलग्न कर आवेदन किया गया है, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के आवेदन पर विचार हेतु दिनांक 20/2/17 को खण्ड स्तरीय समिति की बैठक तहसील कार्यालय निवास में आयोजित की गई है ।

बैठक में वन एवं राजस्व भूमि के वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 के तहत पट्टे प्रदाय तो नहीं किये गये अथवा नही किये जाने हेतु ग्राम सभा प्रस्ताव एवं सहमति पत्र पर विचार किया गया ।

तहसील कुण्डम जिला जबलपुर मे छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वनखण्डवार एफ आर ए से प्रभावित वन भूमि का उपयोग किया जाना निम्नानुसार प्रस्तावित है ।

वन परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	वन कक्ष का कुल रकबा हैक्ट. में	प्रभावित होने वाले रकबा हैक्ट. मे
निवास (सा)	SH31 चौरादादर	RF313	355.02	49.239
	SH31 चौरादादर	RF312	387.92	0.445
	खरखरा	RF653	24.30	0.111
	खरखरा "स"	o-855	55.17	3.045
	जलधरा "अ"	o-859	9.09	0.400
	गढ़बिसोरा "अ"	o-860	6.00	1.023
	गढ़बिसोरा "अ"	o-863	6.57	3.487
	गढ़बिसोरा "ब"	o-864	4.00	0.511
	गढ़बिसोरा "द"	o-866	71.02	3.204
	गढ़बिसोरा "ई"	o-867	25.62	2.670
			योग:-	64.135

उक्त प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन से अनुजन जाति एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 प्रभावित नही होती है ।

खण्ड स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरांत म.प्र. जल संसाधन भोपाल द्वारा स्वीकृत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के उपयोग से लोक हितार्थ कार्य के लिए उक्त वन, राजस्व वन भूमि का उपयोग किये जाने हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदित करती है ।

उक्त कार्यवाही विवरण जिला उप समिति के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाये ।

समिति की बैठक आसंदी के आभार के साथ समाप्त ।

सदस्य / सचिव
आदिवासी विकास निवास

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
निवास (मंडला)

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व निवास (मंडला)

तहसीलदार
निवास (मंडला)

शासकीय सदस्य
अमका गोठरिया
अध्यक्ष
जनपद पंचायत
बीजाडांडी

शासकीय सदस्य
प्रेमसिंह मार्को
जनपद पंचायत
नारायणगंज

शासकीय सदस्य
हिम्मत सिंह वरकड़े
जनपद सद

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
निवास (मंडला)

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

(3)

उपवनमण्डल अधिकारी
E-Mail Address :- sdnamwash@mpforest.org Phone :- 07641-231555
क्रमांक 1428 निवास, दिनांक 01/08/2016

प्रति

वनमंडल अधिकारी
पश्चिम (सा0) वनमंडल मंडला

विषय – छीताखुदरी मध्यम परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।

संदर्भ – आपका पत्र क्र. /मा.वि./2950 दिनांक 5.8.2016 एवं 2794 दिनांक 26.7.2016

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि छीताखुदरी मध्यम परियोजना अंतर्गत आने वाले वन खण्डों का स्थल निरीक्षण दिनांक 9.8.2016 को वन संसाधन विभाग के अधिकारी /कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। डूब से प्रभावित वन कक्षों की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

वन परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	वन कक्ष का कुल रकबा हैक्ट. में	प्रभावित होने वाले रकबा है में
निवास (सा.)	SH31 चौरादादर	RF 313	355.02	49.239
	SH31 चौरादादर	RF 312	387.92	0.443
	खरखरा	RF 653	24.30	0.111
	खरखरा "स"	O-855	55.17	3.045
	जलधरा "अ"	O-859	9.09	0.400
	गढ़बिसोरा "अ"	O-860	6.08	1.023
	गढ़बिसोरा "अ"	O-863	6.57	3.487
	गढ़बिसोरा "ब"	O-864	4.00	0.511
	गढ़बिसोरा "द"	O-866	71.02	3.204
	गढ़बिसोरा "ई"	O-867	25.62	2.670
		Total		64.133

संलग्न – नक्शा एवं मौका पंचनामा।

(के.बी.सिंह)
उपवनमण्डल अधिकारी
निवास (सा.)

कार्यपालन यं.
हिरन जल संसाधन संभाग
सतपुर (म.प्र.)

(1)

—— x ——

आज दिनांक 03/08/2016 को अपरान्ह 2.00 बजे उपखण्ड अधिकारी निवास दोसेड़ा की निवास अभिलेख समिति एवं विधायक प्रतिनिधि श्री चौहटन उपखण्ड एवं तहसीलदार चौहटन के मुख्यालय पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन चौहटन तहसील के सीवसुरा पटवारमण्डल का निर्णय लेने एवं कुल क्षेत्रफल के प्रस्तावित वनभूमि अन्तरण R.F 313, 312 एवं 653 वन चारागाह वन खण्ड के क्रमशः 0.864, 0.855, 0.859, 0.867, 0.866, 0.860 एवं 0.863 का निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कुल में आने वाले वन क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित होने वाले वन क्षेत्र में 0.2 से 0.4 तक घनत्व का निर्माण प्रस्तावित है वन में मिलने वाली आयु वर्ग के वृक्ष उपलब्ध है।

मौके पर पंचनामा तैयार किया गया

और उपस्थित पक्षों के हस्ताक्षर किया गया

उपस्थित पंचों के नाम

1. श्री विजयसिंह पुत्र ग्राम सुजानपुर लोट नागौर
2. श्री [illegible] ग्राम सुजानपुर
3. श्री पी० एल० आसिया - व०अ० सीवाड़ी-सुजानपुर
4. श्री एस० एल० इनवाती पटवारी
5. श्री चौहटन उपखण्ड अधिकारी
6. श्री रामसेवक कोचिया

जन सुनवाई

Mandla (1)

ग्राम सभा — बुकरी संग्रामपुर जनपद पंचायत निवास
विकास खण्ड — मवई मध्यप्रदेश

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि —

आवेदक विभाग का नाम जल संसाधन विभाग की .... जल संसा० संभाग .... परियोजना का नाम ... धौताखुर्दी मध्यम परियो० ..... जबलपुर बांध एवं नहर नि० का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसका नाम बरबरा, जलधरा, खुर्दी के आरक्षित — संरक्षित वन क्षेत्र के वन क्षेत्रवास क्षेत्र के ग्राम .... मे / राजस्व वन ..... के कक्ष क्रमांक ..... में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन के द्वारा क्रमांक ..... में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है ।

वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का पारित ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14/4/2016 ... को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।

ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के प्रावधानों को समझ लिया है ।

वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न — ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति ।

प्रधान / सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

सचिव
ग्राम पंचा.बुकरी संग्रामपुर
जनपद पंचायत निवास

सरपंच
ग्राम पंचा.बुकरी संग्रामपुर
जन.पंचा.निवास (मध्यप्र.)

उपयंत्री
जल संसाधन
मवई (म.प्र.)

(3)

(प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि)

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र ग्राम पंचायत (सुखदी संग्रामपुर) तहसील निवास जिला मण्डला बैठक दिनांक 14/4/

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
	ग्राम सभा में उपस्थित सद० की संख्या क्र. 01 से 54 तक	प्रस्ताव क्र (2) छीता खुदरी मध्यम परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण के संबंध में।	प्रस्ताव क्र (2) आज दिनांक 14/4/2016 को ग्राम पंचा० सुखदी-संग्रामपुर में ग्रामसभा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित समस्त-सद० के द्वारा निर्णय लिया गया कि छीता खुदरी-मध्यम परि० के डूब क्षेत्र में आने वाले वन भूमि जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	सही सही

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन उपखण्ड
जबलपुर (म.प्र.)

सरपंच
ग्रा.पं. सुखदी संग्रामपुर
निवास (मण्डला)

सचिव
ग्राम पंचा. सुखदी संग्रामपुर
जनपद पंचायत निवास

क्र.सं.	[illegible]	[illegible]	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	श्री जगत सिंह मरावी जी	अध्यक्ष	
2.	श्री भगत सिंह मरावी जी	उप सरपंच	
3.	श्री हिम्मत सिंह बरकड़े जी	जनपद सदस्य	
4.	श्री सुरेश सिंह मरावी जी	पंच	सुरेश सिंह
5.	श्री मोहन लाल जी	—"—	मोहन सिंह
6.	श्री लोक सिंह जी	—"—	
7.	श्री चंदन सिंह जी	—"—	
8.	श्री सुखराम बरकड़े जी	ग्रामवासी	सुखराम बरकड़े
9.	श्री महेन्द्र सिंह जी	—"—	
10.	श्री नरेन्द्र सिंह जी	—"—	
11.	श्री शंकर सिंह जी	पंच वृत्त	शंकर सिंह
12.	श्री महेन्द्र भार्गव जी	ग्रामवासी	
13.	श्री नरेश सिंह जी	—"—	
14.	श्री ललित जी	—"—	ललित
15.	श्री देवेन्द्र सिंह जी	—"—	
16.	श्री अजय सिंह जी	—"—	
17.	श्री अजय कुमार मिश्रा जी	रोजगार सहायक	
(18)	श्री [illegible]	सचिव	
(19)	श्री अमृत सिंह ओयाम		
(20)	" खेमसिंह मरावी		
(21)	" धूरसिंह मरावी		
(22)	" किशनलाल यादव		
(23)	" लम्मू सिंह मरावी		
(24)	" महेन्द्र लाल यादव		
(25)	" कोमल सिंह ओयाम		

क्र.सं.	[illegible]	[illegible]	हस्ताक्षर
1	2		
(26)	श्री अमान सिंह उर्मो		
(27)	" मान सिंह मरावी		
(28)	" बीरम सिंह ओयाम		
(29)	" पवन सिंह उइके		
(30)	" करन सिंह पाटले		करन सिंह
(31)	" बाल सिंह मरावी		
(32)	" भगत सिंह मरावी		
(33)	श्रीमति यशोदा बाई मरावी		
(34)	" सुगिया बाई ओयाम		
(35)	" बसन्ती बाई उइके		
(36)	" मानवती बाई ओयाम		
(37)	" रानी बाई मरावी		
(38)	श्री डगर सिंह पाटले		
(39)	" टीकाराम पाटले		
(40)	" अशोक उइके		
(41)	" गोपाल सिंह मरावी		
(42)	" पन्नालाल सिंह मरावी		
(43)	श्रीमती [illegible] बाई मरावी		
(44)	श्री मोहन सिंह कुंजाम		
(45)	" भाहु सिंह मरावी		
(46)	" मोहन सिंह मरावी		
(47)	" केशव प्रसाद मरावी		
(48)	" राजेश कुमार परस्ते		
(49)	" हमारू कुंजाम		
(50)	" भागचंद मरावी		
(51)	" हेमलाल यादव		

अमरलाल

(3) जनपद पंचायत (म. प्र.)

दिनांक 14/04/2016

उपस्थित ग्राम सदस्यों के नाम	पद	हस्ताक्षर
01 02	03	04
(52) हेमांशु अवाधी	पटवारी	[illegible]
53 [illegible]	लोकल आडिटर	[illegible]
54 [illegible]	P.C.O	[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचा. मुखडी संग्रामपुर
जन.पंचा. निवास (छिन्दवाड़ा)

सचिव
ग्राम पंचा. मुखडी संग्रामपुर
जनपद पंचायत [illegible]

कार्यपालन यंत्री
लघु जल संसाधन संभाग
[illegible] (म.प्र.)

ग्राम सभा नानपुर बिसौरा जनपद पंचायत निवास
जिला मण्डला मध्यप्रदेश

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. .... आवेदक विभाग का नाम Dy. Director Tribal की परियोजना का नाम हीरा सुंदरी महापंप लिंक Irrigation Project Jabalpur कार्य का नाम कार्य एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्तमान क्षेत्र के ग्राम गढ़बिसौरा, सकलोदा नानपुर अरक्षित - संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड .... के कक्ष क्रमांक ... . में / राजस्व वन क्षेत्र ग्राम के भूमि क्रमांक ... . में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा के निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण उक्त पंचायत ग्राम सभा की बैठक दिनांक 30/04/2016 ... को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि से सम्बन्ध रखने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है ।

4. वन भूमि व्यपवर्तन में फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा स्वयं द्वारा उक्त कार्य को सहमति / सहमति व्यक्त करती है ।

नोट - ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति ।

सचिव
जनपद पंचायत
सरपुर

सचिव
ग्राम पंचायत नानपुर बिसौरा

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र ..... ग्राम ..... पंचायत भानपुर बिसौरा तहसील निवास जिला मण्डला बैठक दिनांक 28/04/2016

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
		प्रस्ताव क्रं 01: दीगा खुदरी महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण के संबंध में चर्चा -	आज दिनांक 28/04/2016 को ग्राम उदय भारत उदय की बैठक का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत के सदस्यों ने दीगा खुदरी महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण एवं इस क्षेत्र में ही आने वाली वन भूमि अधिग्रहण संबंधी आती है तो इस पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया	सही

सचिव
ग्रा.पंचा. भानपुर बिसौरा
जनपद पंचायत निवास

सरपंच
ग्राम पंचायत भानपुर बिसौरा
जनपद पंचायत निवास जिला मण्डला

कार्यपालन यंत्री
जिला जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

Note Book
DATE: / / 20
Page No :-

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
उपस्थिति दिनांक 20/04/2016

उपस्थित सदस्यों के नाम	ग्राम का नाम	हस्ताक्षर
श्री दान सिंह धुर्वे (P.C.O.)		20/4/16
— " — केशलाल बरकड़े (पंचायत सचिव)		
— " — राजकुमार कुलस्ते (ग्रा. रो. सहा.)		
— " — ओमप्रकाश सिंह परस्ते	गढ़बिसौरा	
— " — गब्बर सिंह कुलस्ते	— " —	
— " — रामप्रसाद उइया (पंच)	— " —	
— " — रामनारायण कुलस्ते	— " —	रामनारायण 20/4/16
— " — ओमप्रकाश कुलस्ते	— " —	
— " — भागीरथ कुलस्ते	— " —	भागीरथ सिंह
— " — नेमसिंह उइया	— " —	
— " — करन सिंह परस्ते	— " —	
— " — हमारे कुलमारथा	— " —	20/4/16
— " — गुलाब सिंह परस्ते	— " —	गुलाब सिंह
— " — गुमान सिंह परस्ते	— " —	गुमान सिंह
— " — कुंवर सिंह परस्ते	— " —	
— " — गोविंद सिंह कुलस्ते	— " —	गोविंद सिंह
— " — रोशन सिंह कुलस्ते (पंच)	रामपुरिया	
— " — बुद्धू सिंह यादव	— " —	20/4/16 बुद्धू लाल
— " — दुर्गा सिंह	— " —	दुर्गा सिंह
— " — बीरम सिंह	— " —	बीरम सिंह
— " — रोमाराम	— " —	रोमाराम
[illegible]		
— " — संतोषी बाई (पंच)	गढ़बिसौरा	संतोषी बाई
— " — अंगूरी बाई (पंच)	— " —	
— " — पुष्पा बाई (पंच)		Shankari Bai 20/4/2016
[illegible] (आं० वा० कार्यकर्ता)		हीराकुंवर कुलस्ते
[illegible] (आं० वा० कार्यकर्ता)		अमिला मरावी
[illegible] (आं० वा० कार्यकर्ता)		
— " — [illegible]		

कार्यक्रम संयोजक
जिला कार्य संसाधन संभाग

(1)

Notebook
DATE: / 20
Page No :-

(31) [illegible] — [illegible]
(32) — " हनुमान सिंह — हनुमान सिंह
(33) — " रूप सिंह — रूप सिंह
(34) — " नन्दी सिंह [illegible]
(35) — " [illegible] सिंह
(36) — " चमकू सिंह — चमकू सिंह
(37) — " [illegible] सिंह — [illegible]
(38) — " [illegible] सिंह — [illegible]
(39) — " इन्दर सिंह — इन्दर सिंह
(40) — " नरवर सिंह — नरवर सिंह

[illegible]
हिरन [illegible] संस्थान संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

Mandla - Additional

ग्राम सतपहरी जनपद पंचायत निवास

जिला — मंडला मध्यप्रदेश

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. आवेदक विभाग का नाम की परियोजना का नाम ..... परियोजना का नाम का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम – संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड 312B कक्ष क्रमांक 312B 312 ..... में / राजस्व वन क्षेत्र क्रमांक 312B ..... में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20/5/2016 को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है ।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा स्तर द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न – ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति ,

कार्यपालन यंत्री
जिला जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत

पंचायत सचिव

कार्यवाही का प्रपत्र ग्राम पंचायत सतपहरी तहसील निवास जिला मण्डला बैठक दिनांक

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पारित हुए
1	2	3	4	5
	श्री मति सन्तानाई तेकाम सरपंच श्री नन्दासिंह परस्ते उप सरपंच उपस्थित समस्त पंच गण। सचिव गण।	प्रस्ताव क्र. 5 घीता कुटी मध्यम परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में।	उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा एकमत से यह निर्णय लिया जाता है कि घीता कुटी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य में समीपस्थ ग्राम कुमार, खोराघाट ग्राम की वन विभाग भूमि डूब में अधिग्रहण की जाती है, तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

शासकीय मंत्री
हिरन कछार संलापन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

ग्राम पंचायत सतपहरी

कार्यवाही का प्रपत्र ..... ग्राम ..... पंचायत सतपहरी ..... तहसील निवास ..... जिला मण्डला ..... बैठक तिथि

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए
1	2	3	4	5
	श्रीमति राधाबाई विश्वकर्मा सरपंच श्री नंदासिंह परस्ते उपसरपंच उपस्थित समस्त पंच गण / सदस्यगण	प्रस्ताव क्रमांक सीता कुण्ड [illegible] परियोजना [illegible] के सम्बन्ध में	उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा एकमत से यह निर्णय लिया जाता है कि सीता कुण्ड मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य में समीपस्थ ग्राम [illegible] और [illegible] वन क्षेत्र की भूमि डूब में आ रही है, तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा एवं प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

कार्यपालन यंत्री
सिंचाई जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

ग्राम पंचायत सचिव
जनपद पंचायत मण्डला

प्राप्ति स्थान - विद्यार्थी ट्रेडर्स, 383 गलगला, जबलपुर फोन : 4035571

विद्यार्थी पुस्तक सदन, 231, सराफा

(कार्यवाही का विवरण)	प्रस्ताव जो पास हुए
[illegible]	[illegible]

Laxman Singh Mravee

ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत [illegible]

कार्यपालन यंत्री
[illegible] जल संसाधन संभाग
[illegible] (म.प्र.)

संचिका की कार्यवृत्त	संचिका क्रमांक
[illegible]	[illegible]

संचिका के कार्यवृत्त (कार्यवाही का विवरण)	[illegible]
	[illegible]

कार्यपालन यंत्री
[illegible] संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

Jabalpur

कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिरण जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील कुण्डम के बीट झिरिया के ग्राम बिलटुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली, एवं मेनपठारी के कक्ष कमांक 356 एवं 357 की एफ0आर0ए0 से प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.42 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि तहसील कुण्डम छीताखुदरी मध्यम परियोजना के बीट झिरिया के ग्राम बिलटुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली, एवं मेनपठारी के कक्ष कमांक 356 एवं 357 की एफ0आर0ए0 से प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.42 हेक्टेयर वन भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा / यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)। साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित वनक्षेत्र 5.42 हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू हो तो)।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कंडिका 2 के प्रकाश में लागू हो)।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी (जो भी लागू हो)।

कलेक्टर
जिला जबलपुर
अध्यक्ष जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति

कार्यपालन यंत्री
हिरण जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग,जबलपुर
E-Mail :- eehiranwrd09@yahoo.in (Ph:-0761-2602441)

पत्र क्र. /कार्य/ छीताखुदरी /2017-18

जबलपुर दिनांक

प्रति,
कलेक्टर,
जिला जबलपुर

विषय- छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन-भूमि के प्रस्ताव के लिये FRA प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् (Recognition of Forest Rights Act. 2006)

संदर्भ- 1 आपका पत्र क्र. 506/वन अधि/अति/2016 जबलपुर दिनांक 01.06.2016
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रंच एफ-3/83/2017/3433 दिनांक 20.11.2017

---0---

विषयातर्गत लेख है कि महोदय के संदर्भित पत्र क्रं. 01 द्वारा हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत तहसील कुण्डम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु, बीट झिरिया के ग्राम बिल्टुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली एवं मेनपठारी के कक्ष क्र. 356 एवं 357 में कुल प्रभावित वन भूमि 5.42 हैक्टेयर अर्जन होने वाली राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन-भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत आवश्यक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जबलपुर से सहमति होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र (संदर्भ क्र. 02) द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र Form-II (for project other than linear projects) में FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को पुनरीक्षित कर, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र Form-II के अनुरूप FRA प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ।

सहपत्र:- 1 निर्धारित प्रारूप मे FRA प्रमाण पत्र
2 छाया प्रति (उपरोक्तानुसार)

(राम अलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

पृ.क्र./कार्य/ छीताखुदरी /2017-18

जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-
1 अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.-3 कुण्डम जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(राम अलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

सहपत्र - शून्य

Jbp

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुण्डम

पत्र क्र0...../अ.वि.अ./2016

कुण्डम दिनांक 24/05/16

प्रति,

अपर कलेक्टर महोदय
जबलपुर ।

विषय : छीताखुदरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि अधिनियम 2006 के नियम 2008 के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तहसील कुण्डम में छीताखुदरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य के लिये अर्जन होने वाली वन भूमि के परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.05.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें ग्राम सभा के सहमति पत्र पर सहमति व्यक्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है ।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

-sd-
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुण्डम जबलपुर

पृष्ठा. क्र. 346/अ.वि.अ./2016

कुण्डम दिनांक 24/05/16

प्रतिलिपि :
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहपत्र :
1. उपखण्ड स्तरीय समिति का सहमति पत्र ।
2. ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का सहमति पत्र ।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुण्डम जबलपुर

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंर्तगत छीताखुदरी मध्यम सिचांई परियोजना तहसील कुण्डम के वन एवं राजस्व भूमि के प्रस्ताव के लिऐ अनुसुचित जन जाति और पराम्परांगत वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सभा के प्रथम स्तरीय समिति के अनुमोदन संलग्न कर आवेदन किया गया है, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के आवेदन पर विचार हेतु दिनॉक 20/05/2016 को खण्ड स्तरीय समिति की बैठक तहसील कार्यालय कुण्डम में आयोजित की गई है ।

बैठक में वन एवं राजस्व भूमि के वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 के तहत पट्टे प्रदाय तो नही किये गये अथवा नही किये जाने हेतु ग्राम सभा प्रस्ताव एवं सहमति पत्र पर विचार किया गया ।

तहसील कुण्डम छीताखुदरी मध्यम परियोजना के वीट क्र. झिरिया के ग्राम बिलटुकरी,लुकामपुरटोला,छीताखुदरी,कुडेहरदुली एवं मेनपठारी के कक्ष क्र 356 एवं 357 की एफ. आर.ए. से प्रभावित वन भूमि का कुल रकवा 5.42 हे. है । वन भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन से अनु.जन जाति एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 प्रभावित नही होती है ।

खण्ड स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरांत म.प्र. जल संसाधन भोपाल द्वारा स्वीकृत छीताखुदरी मध्यम सिचाई परियोजना के उपयोग से लोक हितार्थ कार्य के लिऐ उक्त वन , राजस्व वन भूमि का उपयोग किये जाने हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदित करती हे ।

उक्त कार्यवाही विवरण जिला उप समिति के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जायें ।

समिति के बैठक आसंदी के आभार के साथ समाप्त ।

सदस्य / सचिव आदिवासी विकास जबलपुर	अनुविभागीय अधिकारी (वन) जबलपुर	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुण्डम,जबलपुर
तहसीलदार कुण्डम	श्री सुखचैन मरावी अशासकीय सदस्य	श्रीमति कृष्णा बाई परस्ते अशासकीय सदस्य
	श्री बालसिंह मरावी अशासकीय सदस्य	

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

ग्राम पंचायत ~~महेशपुरी~~ जनपद पंचायत कुण्डम

जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

– ग्राम सभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है कि –

..... आवेदक विभाग का नाम . जल संसाधन विभाग की परियोजना

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम & बांध एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है,

जिसका ग्राम & बांध एवं नहर निर्माण ग्राम महेशपुरी, बिलखुरा, निपानी आरक्षित – संरक्षित वन क्षेत्र के वन

क्षेत्र के ग्राम महेशपुरी, बिलखुरा, निपानी आरक्षित – संरक्षित वन क्षेत्र के वन

..... के कक्ष क्रमांक 357 ..... मे / राजस्व वन

..... के कक्ष क्रमांक ..... में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन

..... अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष

विचारार्थ & प्रस्तुत हुआ है ।

वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी & वन अधिकारों की मान्यता & अधिनियम 2006 के अंतर्गत

अधिकारों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का

अवलोकन ग्राम सभा की बैठक दिनांक 04/05/2016 को की

गई जिसमें ग्राम सभा के सदस्यों ने अधिक संख्या उपस्थित थे ।

ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आरक्षित वन भूमि

पर निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी & वन

अधिकारों की मान्यता & अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं /

प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव

के विवरण को समझ लिया है ।

वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से

ग्राम सभा के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा सतद द्वारा उक्त कार्य

हेतु सहमति / सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न – ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति ,

सचिव
ग्राम पंचायत महेशपुरी
ज.पं. कुण्डम

सचिव
ग्राम पंचायत महेशपुरी
ज.पं. कुण्डम

हस्ताक्षर नाम एवं मुहर सहित

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र महेशपुरी पंचायत महेशपुरी तहसील कुण्डम जिला जबलपुर बैठक दिनांक 04/05/2016

क्र.अंक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
	सरपंच श्री निरपत सिंह उपसरपंच श्री बल सिंह मरावी. उपस्थित पंचगण नागरीक	प्रस्ताव क्र० 33 ग्राम महेशपुरी. मेनपानी छोटाखुर्दी मध्यम परियोजना के निर्माण के सम्बंध में	विषयान्तर्गत आज दिनांक 04/05/2016 को कार्यालय ग्राम पंचायत महेशपुरी ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सदस्यो द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि ग्राम मेनपानी के समीप छोटाखुर्दी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र वनभूमि अधिग्रहण की जाती है तो पंचायत को कोई आपत्ति नही है ग्राम सभा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ	उपस्थित सभी पंचगण नागरीक

कार्यपालन यंत्री
लघु संचालन संभाग
(पं. ग.)

भगवान सिंह
सचिव
ग्राम पंचायत महेशपुरी
अ.पं. कुण्डम.

सरपंच
ग्राम पंचायत महेशपुरी
अ.पं. कुण्डम

26

प्रारूप 2

(नियम 6 देखिये)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत महेशपुरी 2. ग्राम सभा महेशपुरी

3. सम्मिलन दिनांक 04/07/2016 4. स्थान महेशपुरी 5. समय 11 बजे

अनु.क्र.	उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
1.		
2.	आर.के. दुबे	
3.	निरपत सिंह कुशराम	
4.	राजकुमार	
5.	नारायण सिंह उइके	
6.	मोहन सिंह सोयाम	
7.	रामचन्द्र राठौर	
8.	[illegible]	[illegible]
9.	अजीत सिंह परस्ते ग्रा.अ.सचिव मैनपठारी	
10.	शिवप्रसाद कुशराम महेशपुरी	शिवप्रसाद
11.	[illegible]	
12.	Bhain singh	Bhain singh
13.	[illegible]	
14.	लोटन	लोटनसिंह
15.	जयसिंह	जयसिंह
16.	सुकली	सुकली
17.	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]
19.	परमसुख	सत्येन्द्र
20.	[illegible]	

कार्यपालन यंत्री
हरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में) बीस (20

स्थान महेशपुरी

तारीख 04/07/2016

सचिव के हस्ताक्षर

प्राप्ति स्थान - स्टूडेन्ट्स बुक स्टोर्स, अधेरदेव, जबलपुर, फोन : 2311922

- आशीष ट्रेडर्स, 362/363 सांठिया कुआ मार्ग, जबलपुर 2 (म.प्र.) फोन : 2652427

तिथि त्यौहारों की सही जानकारी के लिए - श्री सुभाष [illegible]

27

(नियम 6 देखिए)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत महेशपुरी 2. ग्राम सभा महेशपुरी

सम्मेलन दिनांक 04/06/2016 4. स्थान ग्राम पंचायत भवन 5. समय 11 बजे से

क्र.सं.	उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
1.	कुलवीर सिंह	
2.		
3.	पुन्नू सिंह	
4.	श्रीमती यशोदा बाई W/o महेशपुरी	
5.	श्रीमती कलमणी विश्वकर्मा आशा कार्यकर्ता	
6.	कविता परस्ते	
7.	सोमबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सोमबाई
8.	प्रियंका पटेरिया आंगनवाड़ी सहायिका	
9.		
10.	स्वरूप सिंह	स्वरूप सिंह
11.	सीता बाई	सीता बाई
12.		
13.	भगवानदास विश्वकर्मा	
14.	सुरेन्द्र सिंह	
15.	पार्वती बाई परस्ते पंच	पार्वती
16.	मनोज कुमार (परस्ते मेट)	
17.	कुलदीप परस्ते (मेट)	
18.	भरत कुमार विश्वकर्मा	
19.		
20.	रिषि	

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)

Asst. Vety. Field Officer
K.V.K. Harduli Kala
(Kundam) Jabalpur

स्थान ग्राम पं. भवन महेशपुरी
दिनांक 04/06/2016

सचिव
ग्राम पंचायत-महेशपुरी
ज.प.कुण्डम

भगवान सिंह
सचिव
ग्राम पंचा महेशपुरी

मुद्रण स्थान - सुडण्डम बुक स्टोर्स, अंबेडकर, जबलपुर - आशीष ट्रेडर्स, 362/363 सातिया कुआ मार्ग, जबलपुर 2 (म.प्र.) फोन : 2652427
तिथि त्यौहारों की सही जानकारी के लिए - श्री सुभाष हिन्दी पंचांग ही खरीदिये।

कार्यालय प्रति
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

ग्राम सभा कुडेहरदुली जनपद पंचायत कुण्डम

जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि -

..... आवेदक विभाग का नाम जल संसाधन विभाग की हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर परियोजना का नाम छीनाखुदरी मध्यम सिंचाई योजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसका नाम बांध एवं नहर निर्माण कुडेहरदुली, खातनघोर, लारी के कक्ष क्रमांक 357 ..... आरक्षित - संरक्षित वन क्षेत्र के वन क्षेत्र के ग्राम ..... में / राजस्व वन ..... में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन ..... वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20/04/2016 को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।

ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं को पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है ।

वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से संपादित क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुमति / सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न - ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति ,

सरपंच / प्रधान
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
ज.पं. कुण्डम, जबलपुर म.प्र.

सचिव / सचिवालय
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
जनपद पंचायत कुण्डम

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र ग्राम पंचायत कुडेहरदुली तहसील कुण्डम जिला जबलपुर बैठक दिनांक 20/04/2016

क्र.	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही — कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
01. श्री संतोष सिंह कुलदेव सरपंच 02. श्री बाबूलाल मुड़ी भारिया उपसरपंच 03 उपस्थित सदस्य संख्या 154	प्रस्ताव क्र. 04 छोटा खुदरी मध्य परियोजना निर्माण कार्य के स्वीकृति के संबंध में।	निर्णय:- आज दिनांक 20/04/2016 को ग्राम पंचायत कुडेहरदुली में ग्राम संसद बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों के सहमति अनुसार ग्राम छोटा खुदरी में छोटा खुदरी मध्य परियोजना निर्माण कार्य के लिए इस क्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि अधिग्रहण गैर आदिवासी है। पंचायत को कोई आपत्ति नहीं जिसके बारे में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित की गई	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।	सही

सचिव
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
जनपद पंचायत कुण्डम

सरपंच
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
ज.पं. कुण्डम, जबलपुर म.प्र.

कार्यपालन यंत्री
जिला जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

प्राप्ति स्थान - विद्यार्थी बुकर्स, 383 गलगला, जबलपुर फोन : 4036571

निर्माता - विद्यार्थी पुस्तक भवन, 231, सराफा, दरहाई.

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (मिनिट बुक) प्रथम दिवस

पंचायत कुडेहरदुली तहसील लुहरिया

जिला बलरामपुर (रामानुज) ग्राम संसद क्षेत्र

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	कार्यालय में प्राप्त हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
01 श्री संतोष सिंह पावरिया सरपंच		प्रथम दिवस - ग्राम विकास योजना के संबंध में।	आज दिनांक 20/04/ ग्राम कुडेहरदुली में ग्राम के लिए ग्राम संसद का गया। जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों को मुख्य योजना एवं विस्तृत चर्चा कर कार्यवाही	2016 को ग्राम पंचायत कुडेहरदुली में श्री आनन्द उदय अभियान बैठक का आयोजन किया। ग्राम वासियों के समक्ष कि सामुदायिक निर्माण कार्यों का हेतु तैयार की जाएगी।		सरपंच ग्राम पंचायत कुडेहरदुली वि.ख. लुण्ड्रा, जशपुर म.प्र.
02 श्री गोते बाई भगेरिया उपसरपंच			प्रथम दिवस -	ग्राम विकास योजना के संबंध में उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा ग्राम आजीविका में गर्मी के समय अधिक में रास्तों में कीचड़ की बारे में 100 नर्सिंग कार्य योजना में निम्न निर्माण कार्यों की प्राथमिकता दी गई।		सचिव ग्राम पंचायत कुडेहरदुली वि.ख. लुण्ड्रा, जशपुर म.प्र.
03 श्री बुधिया बाई बेलोटिया सदस्य			ग्राम संसद के समक्ष कुडेहरदुली ग्राम सोसी में पेयजल की समस्या एवं समस्या रखनी है जिसके एवं पंचवर्षीय कार्ययोजना अंकित करने हेतु	एवं 04 के मध्य हेतु पाया खाना कार्य खेर बाड़े ग्राम कचेरा नाला में के मकान तक सी.सी. रोड, कुडेहरदुली एक प्रधान मंत्री सड़क निर्माण एवं 08 में हेतु पाया खाना वार्ड क्र. 05 में पिपरहा में कड़कमान में खेर बाई तक सी.सी. रोड, पहुंच मार्ग तक सी.सी. रोड, नवीन तालाब निर्माण पिपरहा में चिकेन नाला।		पंच ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
04 श्री श्री राम सिंह पावरिया सदस्य						
05 श्री जीवन सिंह उरेती सदस्य						
06 श्री भागचन्द उरेंगे सदस्य						
07 श्री मान सिंह भगत सदस्य		वार्षिक कार्य योजना				
08 श्री गोते तिजिया बाई भगत के संबंध में। सदस्य			(01) ग्राम कुडेहरदुली (02) आंगनवाड़ी (03) — " — (04) मेन रोड से बसोरीपिंड (05) कुडेहरदुली मेन रोड से ग्राम सोसी (06) आंगनवाड़ी (07) सार्वजनिक - शुद्ध निर्माण (08) तालाब गहरीकरण (09) तालाब गहरीकरण (10) वार्ड क्र. 07 रोड मोड़ से (11) वार्ड क्र. 06 से कुडेहरदुली (12) तालाब गहरीकरण			
09 श्री राममनोहर सिंह पावरिया सदस्य						
10 श्री गोते सिया बाई भगत सदस्य						
11 श्री जवाहर सिंह पावरिया सदस्य						
12 श्री गोते अशोक बाई पावरिया सदस्य						
13 श्री गोमती बाई पावरिया सदस्य						

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
बलरामपुर (म. प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली

सरपंच
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
वि.ख. लुण्ड्रा, जशपुर म.प्र.

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर

(प्रेसिडिंग बुक)

पंचायत कुडेहरदुली तहसील कुण्डम जिला जबलपुर (ग्रामीण) सन 2021-2022

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संख्या	पर मत जो पारित हुए	पंचों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
	सपनी बाई		ग्राम सालन सिर (01) सी.सी.	सी.सी.रोड निर्माण कार्य वार्ड क्र. 13		
	~~सपनी बाई~~		(02) सी.सी.रोड निर्माण	कार्य वार्ड क्र. 10		रामबिलास
	~~मंगली बाई~~		(03) तालाब गहरी करना	मरम्मत कार्य		मंगली बाई
	सोनू कुशवाहा		(04) सामुदायिक भवन	निर्माण कार्य		
	राजेन्द्र सिंह		(05) सी.सी.रोड निर्माण	कार्य वार्ड क्र. 12 से 08 तक		
	मलकू सिंह	पंचवर्षीय कार्य योजना के संबंध में।	ग्राम पंचायत का	पंचवर्षीय कार्य योजना		
	रामसिंह		(06) आंगन वाड़ी भवन	निर्माण कार्य ग्राम कुडेहरदुली		
			(07) आंगनवाड़ी भवन	होरी में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य		मलकू सिंह
	आनन्द सिंह पारधी		(08) पाठशाला कुडेहरदुली	में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य		दरबार सिंह
	दिलीप सिंह		(09) पाठशाला एवं पंचायत	भवन में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य		
	कुंवर		(10) रंग मंच निर्माण कार्य	खेर माई होरी में		
	रामप्रसाद		(11) नवीन तालाब निर्माण	कार्य ग्राम होरी में		
	~~पारबती बाई~~		(12) सोसाइटी भवन निर्माण	कार्य - कुडेहरदुली		
	अमरसिंह मरावी		(13) स्वच्छ भारत मिशन	के तहत शौचालय निर्माण		
	~~पोहप सिंह~~		(14) ~~सी.सी.रोड कुडेहरदुली~~	ग्राम सड़क ग्राम होरी से ग्राम सालनसिर मरहटा		अमरसिंह
	~~महेश सिंह~~		(15) हड्डा रोपण कार्य ग्राम	होरी में		पोहपसिंह
	~~लखन सिंह~~		(16) नवीन पाठशाला भवन	निर्माण		
	फेरनलाल मरावी		(17) ग्राम होरी खेर माई से	आमोरनाला तक कुडेहरदुली से सड़क		
			(18) ग्राम होरी में नलजल	योजना		
			(19) ग्राम सालनसिर में बोर	नरसिंह के घर से महानदी तक सी.सी.रोड		
			(20) ग्राम सालनसिर में पुलिया	कटा तालाब गहरी करना		लखनसिंह
			(21) ग्राम सालनसिर में	रंग मंच निर्माण कार्य		
			(22) ग्राम सालनसिर के मुख्य	मार्ग में हमानिया गेट निर्माण कार्य		08/11/16
			(23) ग्राम सालनसिर के	महानदी में स्नानघाट निर्माण कार्य		
			(24) कुडेहरदुली सम्पर्क	सड़क निर्माण कार्य सालनसिर से		
			(25) मुख्य मार्ग से कुडेहरदुली	के घर तक सी.सी.रोड निर्माण		
			कुडेहरदुली सम्पर्क	के निर्माण कार्य		

जनपद पंचायत कुण्डम जबलपुर (ग्रा.)

हरित जल संसाधन संभाग जबलपुर (म.प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
जनपद पंचायत कुण्डम

सरपंच
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
ज.पं. कुण्डम जबलपुर (ग्रा.)

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (प्रेरिती पुस्तक)

पंचायत कुडेहरदुली तहसील कुण्डम जिला जबलपुर संभाग दिनांक 26/04/2016

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव का क्रमांक	पंचों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
		एजेण्डा क्र. 01 लीला बुदली मध्य परियोजना निर्माण कार्य के स्वीकृति के संबंध में।	निर्णय:- आज दिनांक कुडेहरदुली में ग्राम पंचायत जिलांतर्गत उपस्थित ग्राम लीला बुदली में निर्माण कार्य के तहत अधिग्रहण जमीन आती नहीं है जिसके बारे प्रस्तावित की गई।	पंचायत की ग्राम पंचायत - संसद बैठक का आयोजन किया ग्राम वासियों के सहमति अनुसार लीला बुदली मध्य परियोजना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि है तो पंचायत की कोई आपत्ति में उपस्थित सदस्यों द्वारा	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।	[illegible] [illegible] [illegible] भारत सिंह [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किसनी बाई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

सचिव
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
ज.पं. कुण्डम, जबलपुर म.प्र.

सचिव
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली
जनपद पंचायत कुण्डम

कार्यपालन यंत्री
हरदा बाह संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत कुडेहरदुली

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र ग्राम पंचायत बिलहुकरी तहसील कुण्डम जिला जबलपुर बैठक दिनांक 20/12/18

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमति लीलाबाई	प्रस्ताव क्र-01	आज दिनांक 20/12/2018 को ग्राम पंचायत बिलहुकरी के ग्राम धोतरकुरी में ग्रामसभा का आयोजन किया गया जिसमें समस्त ग्रामवासि एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुण्डम, तहसीलदार कुण्डम, नगरपालिका अध्यक्ष कुण्डम, कार्यपालन मंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कर्मचारी जनपद पंचायत कुण्डम, विभाग जल संसाधन एवं उपविभागीय अधिकारी उपस्थित हुये, जिसमें ग्रामवासियों एवं पंचो, सरपंच महोदया द्वारा धोतरकुरी बॉध निर्माणकार्य पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। ग्रामवासियों को कुछ मांगे है सूचि संलग्न	प्रस्ताव क्र-01 सर्वसम्मति से पारित।	सही

लीलाबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत बिलहुकरी
जनपद पंचायत कुण्डम

सचिव
ग्राम पंचायत बिलहुकरी
जनपद पंचायत कुण्डम

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

प्राप्ति स्थान – विद्यार्थी ट्रेडर्स, 383 गलगला, जबलपुर फोन : 4035571
निर्माता - विद्यार्थी पुस्तक सदन, 231, सराफा, दरहाई, फोन : 2652189

हीतरखुर्द पुर्नवास हेतु आज दिनांक 20/12/18 को ग्राम सभा की बैठक में दिये गये सुझाव जो प्रावधान में जोड़ा जाये

① मंगल भवन ② प्रतिक्षालय भवन
③ रंगमंच ④ रोड ⑤ ~~बिजली~~ बिजली
⑥ पानी ⑦ स्कूल ~~कक्षा~~ पहली से आठवी तक
⑧ आंगनवाड़ी भवन ⑨ शासकीय उचितदर
⑩ पशु औषधालय ⑪ सामुदायिक भवन
⑫ खेरमाता का स्थान ⑬ बड़ा देव धाम
⑭ नलजल योजना ⑮ सामुदायिक कुए
⑯ नाली निर्माण ⑰ सार्वजनिक शौचालय
⑱ खेलमैदान ⑲ बुढ़ीमाई का दाना
⑳ हरदौल का चबूतरा ㉑ बांकर शाह एवं रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा ㉒ महावीर ~~स्वामी~~ बाई की ~~प्रस्ताव~~ प्रतिमा ㉓ डॉ. अम्बेडकर जी की प्रतिमा
㉔ फ्री प्लांट की सीमा पर फेंसिंग ㉕ कलोनी से ~~हिलटुकरी होकर~~ कुण्डम जाने का रास्ता
㉖ शास. उचित मूल्य दुकान ㉗ सार्वजनिक कुड़ादान
㉘ शांतिधाम ㉙ दीवान कुण्डा जी की प्रतिमा
㉚ एक 1.1.1 धेमा ㉛ प्लांटेशन वाली स्थान पर ㉜ प्रवेशद्वार ㉝ स्टीट लाइट पूरे ग्राम में ㉞ महुआ समिति का रजिस्टेशन कराना

स्व.क्र.① से ㉜ तक की व्यवस्था ग्राम बम्हनी ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर / पीछे पृष्ठ

सचिव
ग्राम पंचायत बिलहुकला
जनपद पंचायत कटनी

कार्यपालन यंत्री
जिला जल संसाधन संभाग
कटनी (म.प्र.)

Date / /
Page No.
Note Book

खसरा नं० - 345 शासकीय भूमि पर
बीतासुरी पुस्तकालय के लिये की जाये।

सरपंच
ग्राम पंचायत बिलदुकरी
जनपद पंचायत कुण्डम

सचिव
ग्राम पंचायत बिलदुकरी
जनपद पंचायत कुण्डम

हरित जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म. प्र.)

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (प्रेसिडिंग बुक)

पंचायत ..... तहसील .....

जिला ..... सन् .....

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठकों की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	4	5	6
			आज दिनांक पंचायत [illegible] में [illegible] कार्य किया गया [illegible] सम्बन्धित [illegible] अधिकारी [illegible] कार्यपालन यंत्री जनपद पंचायत, संचालन एवं [illegible] अधिकारी [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible] सहमति से पारित [illegible] (ग्राम पंचायत) एवं [illegible] निर्माण सहमति से	20/12/18 को ग्राम के [illegible] [illegible] बैठक की [illegible] सहित [illegible] अधिकारी [illegible] अधिकारी [illegible] ग्राम सभा में [illegible] कार्यों की [illegible] कार्यों [illegible] प्रस्ताव [illegible] कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।	[illegible]	सुकरत सिंह [illegible] [illegible] लोकेश सिंह

कार्यपालन यंत्री
[illegible] संभाग
[illegible] (म.प्र.)

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (प्रेसिडिंग बुक)

पंचायत ..... तहसील ..... जिला ..... वर्ष .....

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठकों की कार्यवाही	कार्यवाही स्वीकृत	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	4	5	6

कोतवाल पंच
ग्राम पंचायत सेमरा
जबलपुर (म. प्र.)

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (प्रोसिडिंग बुक)

पंचायत .... तहसील .... जिला .... सन् ....

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	[illegible]	बैठकों की कार्यवाही	[illegible]	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
						[illegible]
						[illegible]
						[illegible] सिंह तेकाम
						[illegible] सिंह तेकाम

कार्यपालन यंत्री
[illegible]
जबलपुर (म प्र)

[illegible]

003

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर (प्रोसिडिंग बुक)

पंचायत ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठकों की कार्यवाही	कार्यवाही अवधि	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7

कार्यपालन यंत्री
ग्राम पंचायत महाराष्ट्र संभाग
जगदीपुर (म. प्र.)

Annexure - 14

Condition – 16

No labour camp/huts shall be established on the forest land.

उपयोगकर्ता एजेंसी / जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 15

Condition - 17

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 16

Condition - 20

Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 17

Condition - 21

The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 18

Condition - 22

The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur